

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:चिप्र/संस्था/2015/324

दिनांक: 14.12.2015

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कालेज, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक,
सलंगन चिकित्सालय समूह, राजस्थान।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय:- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत अन्तःरग (Indoor) मरीजों को चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत अन्तःरग मरीजों (Indoor patients) को चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु राशन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड को देखा जाना सुनिश्चित करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मीशन, जयपुर।
5. अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मीशन, जयपुर।
6. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी सम्बन्धित को मेल द्वारा भेजा जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।